

RAJYA SABHA [3 December, 1999]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, we shall take up the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 1997. Shri Dave.

THE CIGARETTES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1997

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 की परिधि में गुटका और खैनी जैसे अन्य तम्बाकू उत्पादों को सम्मिलित करके उसका संशोधन करने तथा उसके क्षेत्र में विस्तार करने तथा उससे संबंधित विषयों संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।”

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में एक ऐसा बिल ला रहा हूँ जिसमें सारे समाज का, सारे देश के स्वास्थ्य का सवाल है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]

जब तक लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं वैसी तरक्की नहीं हो पाएगी। इसी वजह से यह बिल, जो सिगरेट, खैनी, जर्दा पर मैं ला रहा हूँ, इसे लाना मैंने आवश्यक समझा। कई साल से इस सदन में मैं यह सवाल उठाता रहा हूँ, मैंने स्पेशल मेशन किया, जब हमारी माननीया रेणुका चौधरी जी मंत्री थीं, मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि सिगरेट पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन जो सिगरेट पर लेवी है वह इतनी पावरफुल है कि हमारे देश में इसे कोई रोक नहीं सकता। छोटे-छोटे गांवों में सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, पान-मसाला, गुटका आदि की वजह से सारी दुनिया में एक माहौल घर कर गया है। डब्ल्यू.टी.ओ. ने भी इस पर प्रश्न किया। जबकि परिणाम यह है कि हर साल एक लाख लोग कैंसर से हमारे देश में मरते हैं। इसकी सीधी वजह यह खैनी, गुटका और सिगरेट है। हमारी सरकार इसके पीछे करोड़ों रुपया खर्च करती है। गांवों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता कि यह सब क्या चीजें हैं लेकिन जब कैंसर होता है, उनको बड़े-बड़े अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है जो उसने पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है। कई और सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं और पब्लिक आफिसमें, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिगरेट पीने पर, गुटका खाने पर प्रतिबंध है। इस बारे में यह सब कुछ हुआ है लेकिन अभी इस विषय पर बहुत कुछ करना बाकी है।

। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश के सामने एक बहुत गंभीर सवाल है। आज हमारे देश में इस रोग से, कैंसर से जो गुटका खाने, सिगरेट पीने से, जर्दा खाने से होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। टाटा मेमोरियल के एक्सपर्ट्स ने मुंबई म्युनिस्पल कारपोरेशन के जो हेल्थ विभाग के चेयरमैन हैं उनको अपनी रिपोर्ट दी थी और इस बारे में उन्होंने पेटिशन भी दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं और एक लाख लोग हर साल हमारे देश में कैंसर से मर जाते हैं और एक लाख से ज्यादा लोग अन्य बीमारियों, गुटका, सिगरेट और जर्द की वजह से परेशान हैं। लेकिन आज तक हमारी सरकार ने इस बारे में न कुछ सोचा है और न इस बारे में कोई कदम उठाया है जो कि बहुत बड़ी दुखद बात है। महोदय, इतने विज्ञापन रोज आते हैं। मुझे यह कहने में बहुत दुख होता है कि हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी जो लोगो लगाते हैं - हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, वे अच्छा खेलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, सरकार, समाज के बड़े लोगों को, एन.जी.ओ.ज, जितने भी ऐसे लोग हैं उन सब को मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए कि यह लोगो बंद होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में बड़ी कंपनियों के पास पैसा है और वे अधिक से अधिक पैसा देकर इस तरह के एडवर्टिजमेंट दे रहे हैं। आप चले जाएं, बाजार में और वहां जाकर कहें कि 555 दीजिए तो वह आपको सिगरेट निकाल कर आपके हाथ में दे देगा। ऐसा क्यों होता है? यह सब एडवर्टिजमेंट की वजह से होता है। इसके लिए उनको कानूनन केवल उसके पीछे छोटे अक्षरों में लिखना होता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टु हेल्थ। यह छोटे छोटे लेटर्स में लिखा जाता है जब कि उसका एडवर्टिजमेंट बहुत बड़ा होता है। मैंने अपने स्पेशल मेंशन में कहा था कि गांवों में लोग अनपढ़ होते हैं। उसके पीछे क्या लिखा है उसको वह नहीं पढ़ सकते। इसलिए ऐसा लिखने की जगह यह किया जाना चाहिए कि जितना बड़ा एड वह देते हैं उतने ही बड़े साइज में जिस साइज में वह अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की फोटो लगाते हैं तो उसी तरह से कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का चित्र भी उसके साथ देना चाहिए कि इसकी वजह से यह हुआ। तभी गांव के लोगों को पता चलेगा कि इसके क्या नुकसान हैं। जब तक उनको यह बार्निंग नहीं दी जाएगी तब तक इसका कोई असर नहीं होगा। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के सभी पत्रों, सभी मैगजीन्स से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इनको निकालते हैं उन सभी लोगों को यह तय करना चाहिए कि किस तरह से इस देश का स्वास्थ्य बच सकता है और इसमें उनका क्या योगदान हो सकता है। इसके लिए हमको कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। डब्ल्यू.एच.ओ. ने अपने एक सर्वेक्षण में बताया है कि 2020 तक पर इयर 10 लाख लोगों की मृत्यु होगी। यह कोई मामूली घटना नहीं है। उन्होंने सोच-समझकर यह सर्वेक्षण किया है। सारी दुनिया में जो जो बड़े देश हैं इन सब देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। गुटका जो बनाते हैं वे सब जो गरीब देश हैं उनकी तरफ मुड़ गए हैं क्योंकि अमीर देशों में इस बारे में कड़े कानून हैं। गरीब देशों में इतने कड़े कानून नहीं हैं। अमेरिका में ऐसा कानून है कि अगर कोई इससे मर जाए और उसके संबंधी उस कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दे तो उस कंपनी को

उसे एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कानून है, रेगुलेशन है, उसमें मैंने अमेंडमेंट दिया है। मेरा छोटा सा अमेंडमेंट यह है कि एडवरटाइजमेंट इस तरीके से करिये कि जिससे लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आए। यह भी मैंने कहा है कि सिगरेट को बंद कर दो, क्या जरूरत है इस गरीब देश में? डब्ल्यू.एच.ओ. के पास दुनिया भर के किसान गए थे। कई लोग कहेंगे कि हमारा भारत एक गरीब देश है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और हमारे गुजरात में भी जहां पर तम्बाकू की खेती हो रही है वहां के बहुत से लोगों को इससे रोजी रोटी मिल रही है लेकिन मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक यह सामने आया-

"According to official sources, pentents with tobacco related diseases spent Rs. 2,830 crores in their treatment in 1999 whereas the revenue generated only Rs.2,353 crores."

सरकार को जितना रेवेन्यू तम्बाकू से मिलता है उतने पैसे तो हम उसकी दवाओं के ऊपर खर्च रहे हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. के जो अधिकारी थे, उनके पास दुनियां भर के उत्पादक गए, उनके सामने अपनी समस्या रखी कि हम क्या करें। दुनियां में इतने देश नहीं है जो तम्बाकू पैदा करते हैं, उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएंगे। डब्ल्यू.एच.ओ. ने जवाब दिया कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि जितने लोग मरते रहें हम उनकी सिर्फ गिनती करते रहें, हमें भी कुछ रास्ता निकालना है। मान्यवर, पहली बार हिन्दुस्तान में बिजनौर के जो राजा साहब थे 1600 ई. में मुगल सम्राट अकबर के टाइम में बीड़ी की शुरुआत की। जहांगीर ने 1617 में इस पर प्रतिबंध लगाया लेकिन उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। पिछले 10-20 साल में यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों के आजू-बाजू गुटखा, खैनी, जर्दा और तुलसी आदि मिल जाते हैं और बच्चे इसके इतने अडिक्ट हो जाते हैं कि उनके मुँह नहीं खुलते हैं और बच्चे जब मेजोरिटी एक्वायर करते हैं तो ऐसे बच्चों में ज्यादातर कैंसर हो जाता है और उनका कोई इलाज नहीं है। सरकार द्वारा इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कोई इलाज नहीं है। हमारे यहां किसानों की जो लॉबी है, हम उसको समझा सकते हैं। हमारे देश में जहां तम्बाकू की खेती होती है हमारे पास कृषि अनुसंधान के इतने एक्सपर्ट लोग हैं जो यह बता सकते हैं कि आप किसी नयी क्राप में चले जाइये। जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं उतने पैसे उनको और दे दीजिये, दिशा बदल दीजिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे देश के सामने इस गम्भीर खतरे का हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसका रास्ता ढूँढने के लिए मैंने कई बार यह मामला हाऊस में उठाया। सरकार-हर बक्त

यह कहती रही कि हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इस के लिए कमेटी भी गठित की गई थी। उस कमेटी ने जो कहा है, मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ -

"The Committee's Report has drawn its conclusion on the basis of studies conducted by the three institutions on the adverse effects of consumption of chewing tobacco, *gutka* "

The National Institute, Nutrition, Hyderabad, and the Regional Cancer Institute, decided this in collaboration with each other. अब आपने जो अभिप्राय दिया है, यह नहीं होना चाहिये। मिनिस्ट्री में यह सारी बातें पड़ी हुई हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज दिन तक क्यों इस पर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जो इस विषय पर प्रेस कंटिंग्स पढ़ी हैं, उनसे ऐसी बात निकल रही है कि यह जो तम्बाकू की लॉबी, सिगरेट की लॉबी अपने देश में है, यह इतनी पावरफुल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अब मुझे इस सरकार पर एक विश्वास है, एक उम्मीद है। जब लोगों की चुनी हुई सरकार यहां आई है - लोगों का स्वास्थ्य इस सिगरेट, तम्बाकू और गुटक की वजह से बिगड़ता जा रहा है तब यह सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाएगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा और विश्वास है।

मान्यवर, मैं टाटा मेमोरियल सेंटर ने जो दो-तीन बातें बताई हैं वे कहेंगे - (a) Tobacco usage ranges from 33 per cent to 80 per cent among the Indian men and women. (b) 86 per cent tobacco is smoked in the form of bidi, cigarettes, gutka and khaini. There is a strong relation between tobacco use and its effect on the upper track and respiratory track. लास्ट में उन्होंने कहा है - The World Health Organisation has sounded a note of warning that tobacco use is on the increase in South-Asia, including India. And 90 per cent of oral cancer in this region is attributed to tobacco use only.

मान्यवर, ये बातें टाटा मेमोरियल सेंटर के उनके क्वालीफाइड डाक्टर्स और रिसर्च करने वाले लोगों ने बतायी हैं। सरकार के पास ये सब बातें हैं। कमेटी ने भी अपना अभिप्राय दे दिया है। फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि यह सरकार क्यों इस बारे में कुछ कदम नहीं उठा रही है। तो मैं आपके जरिए और इस सदन के जरिए इस सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य बचाने के लिए कुछ करें। जहां तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वहां तक हम कुछ आर्थिक उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। देश की युवा पीढ़ी इन सब बातों से खत्म होने जा रही है। चाइना में भी यही प्राबल्य है। हर साल 75 हजार लोगों की डेथ वहां हो रही है। वे लोग भी सोच रहे हैं कि हमें इनका साल्यूशन किस तरीके से करना है। फारेन कंट्रीज ने तो पाबंदी कर दी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं यह बड़ी दुखद घटना है। मेरी सरकार से आपके माध्यम

से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में सोच कर कुछ करें। आपके पास सभी बातें आ गयी हैं, कमेटी का रिपोर्ट है, स्टडीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ओपीनियन चाहिए वह है, एन.जी.ओज. के जितने भी अभिप्राय चाहिए वे हैं। ये सब हैं इसलिए एक बार और प्रयत्न कर लीजिए। लेकिन इस लाबी के दबाव में मत आइए। यह लाबी जो पावरफुल लाबी इस देश की युवा पीढ़ी और युवा वर्ग को खत्म करने जा रही है उससे लड़ना है। इस वजह से कुछ न कुछ इस दिशा में प्रयत्न करना है।

मैंने जो बिल रखा है इस बिल पर इस सदन के सभी सदस्य बोलेंगे और इसका समर्थन करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस देश के युवा वर्ग को अगर नहीं बचाएंगे तो आर्थिक उन्नति नहीं होगी। देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे कानून की इस देश में अभी जरूरत है ऐसा मेरा विश्वास है इसलिए मैं यह बिल पेश कर रहा हूं।

The question was proposed.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Chairman, I would like to congratulate the hon. Shri Dave, and really thank him on behalf of millions of people who suffer from this disease as a result of heavy smoking, I being one of those millions in this country and all over the world. It is a terrible habit. In fact, we have not understood the implications of this intoxicating substance. A lot of respiratory diseases and asthma are the result of smoking. The classic example is of Marlborough. Marlborough is a world famous American cigarette. It was extremely popular in earlier times when smoking was fashionable. In my younger days, the previous generation, in the movies we used to see these actors and actresses smoking and they were supposed to be intellectuals. If you smoke, you are supposed to be an intellectual. You are considered to be an intellectual not by reading but by smoking and sitting in cafes and other places talking about everything and, sometimes, about nothing. There was this Marlborough and this Marlborough was made popular through advertisement where the Marlborough man would go on a horse through great deserts and smoke. He was a virile, tall and handsome looking person. The Marlborough man died and he died of cancer of the lungs as a result of smoking. That practically illustrates what many people like me and many others are suffering as a result of smoking. It is a tremendous thing and something must come from the hon. Minister. Let us not say, "Well, it is all very good and we shall surely do something in the next millennium". No, let us do

something concrete. What concrete things can be done? What is done all over the world? I can mention my little State which has brought a legislation prohibiting smoking in public places. In Government offices and public places, if you smoke, you will be fined, and sometimes, heavily. Therefore, I am extending my support to this Bill. I am aware, from my own situation, of the tremendous injurious effects of smoking. Therefore, let us have a legislation. If you ask the Member to withdraw this Bill, I would plead with you and urge upon you, on behalf of the millions of people who are already sick as a result of smoking and on behalf of the other millions who will be sick if you don't do anything, to do just this tiny, little thing of prohibiting smoking in public places and imposing a fine on whosoever breaks this law in Government and other public places. If you do this in your Government offices and the Union Territories under you, if you kindly send a circular to all States requesting to bring a legislation prohibiting smoking in public places, it will be a small beginning. It has been done in my small State. Surely, this can be done in other States with much greater resources. Therefore, I appeal to you to do all this and to discourage all this publicity of cigarettes and other smoking substances and chewing tobacco substances. They do it in schools. As Mr. Dave has pointed out, all the get-togethers of young people are sponsored often by tobacco companies and they play and have a merry time, and then they get used to smoking which destroys their life. I plead with you, whatever you may say about this legislation at the end of the debate, kindly announce some concrete steps in the simplest terms, as I have stated, prohibiting smoking in public places and imposing a fine on those who break the law.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक का समर्थन तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ विषय जो सदन में विधेयक प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, उन का समर्थन करते हैं, लेकिन उन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे देश में कई निर्णय बदले गए हैं, लेकिन उन के अच्छे परिणाम नहीं निकले।

महोदय, बीड़ी, सिगरेट, पान की सुपारी, चरस, गांजा, भांग, सुलफा, अफीम, शराब, स्मैक, गुटका, बीड़ी - ये सभी चीजें नशा करने वाले का मानसिक संतुलन बिगाड़ती हैं और जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वह गुस्सा करता है, अपराध करता है। और इसीलिए यह सारी चीजें हमारे देश में बढ़ रही हैं। मैं इस विषय पर आगे आने से पहले अपने दो अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार, इन दोनों

सरकारों ने शराबबंदी की थी, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई और शराब घरों में पहुंचने लगी, शराब की तस्करी होने लगी, माफिया गिरोह पैदा हो गए, राजनीति में प्रवेश कर गए और अंततोगत्वा इन दोनों सरकारों को वह निर्णय वापस लेना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि जिस कारण से लागू किया गया था उसका निदान नहीं हुआ और सरकार का राजस्व भी कम हो गया। हम बहुत सी चीजों की अनुमति इसलिए देते हैं कि उत्पादनकर्ता को धन मिलता है, बनाने वालों को या काम करने वालों को रोजगार मिलता है और सरकार को राजस्व मिलता है। यह तीनों ही चीजें वास्तविक हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्री बंद कर दे तो कैसे जिंदा रहेगा, रोजगार के बिना आदमी कहाँ से खाएगा और सरकार राजस्व के बगैर कैसे चलेगी। यह भी एक वास्तविकता है, लेकिन क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था संतुलन बनाए जाने के लिए की जा सकती है ? जी, की जा सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, अब मैं इस माननीय सदन को थोड़ा सा हैसाना चाहता हूँ। एक बीड़ी बेचने वाला था, जो बीड़ी बेच रहा था और कह रहा था कि मेरी बीड़ी पीने वाले को तीन फायदे होंगे। किसी ने पूछा कौन-कौन से ? कहा कि मेरी बीड़ी पीने वालों को कुत्ता नहीं काटेगा, दूसरा यह कि मेरी बीड़ी पीने वालों के घर में चोरी नहीं होगी और तीसरा यह कि मेरी बीड़ी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा। मुझ जैसा एक आदमी उसके पास चला गया और उसने कहा कि तेरी बीड़ी नहीं बिकने दूंगा, जब तक तू तीनों बातें पूरी तरह नहीं समझ देता। उसने कहा कि बीड़ी में जो तम्बाकू होता है, उसके पीने से होंठ काले हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं और पैसे की बरबादी होती है, कपड़े जल जाते हैं, कभी कभी आग गिरती है और उससे आग भी लग जाती है, दुकानें जल जाती हैं, यह तो होता ही है, लेकिन जब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो टीबी हो जाएगी और जब टीबी हो जाएगी तो वह इतना कमजोर हो जाएगा कि लाठी टेक कर चलेगा। जब लाठी टेक कर चलेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा। उस आदमी ने कहा कि चलो, यह बात मान ली, मगर दूसरी बात क्या है ? उसने कहा कि जब टीबी हो-जाएगी तो रात भर खोंसेगा और खुल-खुल करेगा तो चोर नहीं आएगा क्योंकि आदमी जगा हुआ है और इसलिए उसके घर चोरी नहीं होगी। तीसरी बात पूछी कि देखो, यह दोनों बातें तो समझ में आ गई, लेकिन बूढ़ा नहीं होगा, यह समझ में नहीं आया। तब उसने कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ-हो। अरे, इतना कमजोर हो जाएगा टीबी से, कि जवानी में ही मर जाएगा, बूढ़ा होने का नंबर ही कहाँ आएगा।

तो, उपसभाध्यक्ष जी, यह हो रहा है। अब जो राजा हो चोरी करे, न्याय कौन पर जाए। जब हम कानून बनाने वाले ही यह काम कर रहे हैं, मेरे साथी चले गए उठकर, मैं रोक रहा था उन्हें, चैन-स्पोकर हैं, ऐसे यहां कई मੈम्बर हैं पार्लियामेंट के और 50-60 परसेंट तो तम्बाकू खाते हैं या गुटका खाते हैं पार्लियामेंट के मੈम्बर, तो कैसे चलेगा। हम कानून पास कर रहे हैं या

खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम मजाक बन रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। कम से कम पहले तो हम ही यह प्लेज लें।... (व्यवधान)... मे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पहले हम खुद सिगरेट पीना बंद करें, तम्बाकू या गुटका खाना बंद करें, कुछ तो आदर्श प्रस्तुत करें, नहीं तो यह कह दें कि इस विधेयक को वापस लीजिए, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम अगर कुछ आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो ही जनता में लोग उसका अनुसरण करेंगे।

दूसरी बात, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि टेलीविजन में जिस समय खबरें आती हैं उस समय कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आना चाहिए या साइंस एंड टेक्नोलोजी की शिक्षा के समय भी बाकी सबसे ज्यादा नशीली चीजों का प्रचार टेलीविजन पर होता है और आप कहते हैं कि मांप-बाप जो तम्बाकू या नशे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वे टेलीविजन पर देखेंगे या लड़के से उसका बाप कहेगा कि जरा माचिस लाना सिगरेट जलाना है और लड़के से या लड़की से माचिस मंगाकर जब उसका बाप सिगरेट जलाएगा तो घर के बच्चे कैसे मान जाएंगे? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो लोग जान-बूझकर करते हैं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है', अगर कोई बगैर पढ़ा-लिखा पीए तो मेरी समझ में आता है कि वह पढ़ नहीं सकता लेकिन डाक्टर, एडवोकेट, आई.ए.एस., आई.पी.एस., ब्यूरोक्रेट्स, जज, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एल.ए. या कोई पढ़ा-लिखा आदमी जब पीता है तो मैं समझता हूँ कि वह जान-बूझकर पी रहा है। तो फिर जो आदमी स्वयं कानून बना रहा है, वह ही कानून को तोड़ रहा है, ऐसे कानून को कोई नहीं मानेगा। यह अपना मजाक, हमारे देश का मजाक, इस सदन का मजाक है। मैं जब कभी भी कोई बात कहता हूँ तो वह कहता हूँ जिसका कि मैं अपने जीवन में अनुसरण करता हूँ। मैं कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वालों को घर में नहीं घुसने देता और मैंने कभी कम वोट नहीं पाए पब्लिक में जाकर। पाखंड, आडम्बर, अधर्म, अंधविश्वास, कुरीति, कुचलन, असमानता और वे बातें जो आदमी के चरित्र को, ईमान को, शरीर को बिगाड़ती हैं, मैं उनके खिलाफ प्रचार करके वोट मांगता हूँ हर इलेक्शन में हर जगह जाकर के और वहां संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। मैं पिकचर भी नहीं देखता कभी, 30-40 साल हो गए टी.वी. पर मैं कभी पिकचर नहीं देखता क्योंकि कोई अच्छी चीज पिकचर से मिलती नहीं, उसे देखकर लोग तबाह हुए हैं, कोई एक बना हो तो बता दें। ये चीजें बुरी लगती हैं क्योंकि लोग इनका अनुसरण करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बातें तो बड़ी अच्छी हैं किन्तु हम कारणों का निदान करें नहीं तो यह ठीक नहीं है। तम्बाकू के ऊपर एक बड़ा सेमिनार हुआ था और 'नो टोबैको डे' मनाया गया, सारी दुनिया के डाक्टरों ने यह कहा कि कैंसर 99 प्रतिशत तम्बाकू से होता है और बहस इस सदन में हो रही थी कि कैंसर के अस्पताल खोले जाएं। कैंसर के अस्पताल खोलो, अरबों-खरबों रुपया अपने पास है नहीं, विदेशों से भीख मांगकर लाओ। बजाए कैंसर के अस्पताल खोलने के हम यह प्रचार क्यों न करें कि तम्बाकू का सेवन न

किया जाए, तम्बाकू का सेवन बंद हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आर्य समाज का प्रचारक रहा हूँ और उस जमाने में कबीर-पंथी, आर्य समाजी, सिद्ध आदि बड़ी सामाजिक संस्थाएँ थीं जो इन चीजों के खिलाफ प्रचार करती थीं, लेकिन आज समाज में प्रचारक समाप्त हो गए हैं। प्रचारक इसलिए कम हो गए हैं कि समाज ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया है, देशवासियों ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया है। आज जो चोर, डकैत, बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, अय्याश, बदकार, शराबी, कबाबी और माफिया होगा, वह समाज में इस जाति का, वर्ग का प्रचारक और उसका कमांडर बन गया है। इसलिए आज सामाजिक कार्यकर्ता कोई समाज में रहा नहीं। तो मेरी प्रार्थना है दूसरी आपसे एक तो यह कि हम स्वयं इसका अनुसरण करें और हम लोग तम्बाकू का सेवन छोड़ें और इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएँ, जो इस प्रकार का प्रचार कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन दें, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, उनकी जो सफाई अच्छे काम के लिए हों, वे मानें।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने यहां पर यह निर्णय लिया था, जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, कि कार्यालयों की हदों के अंदर कोई सिगरेट नहीं पीएगा। मैं फेलेरियो साहब को बताना चाहता हूँ कि और जगह हो गया ठीक है, इसी प्रकार से हमारी यह सरकार इतना तो फैसला ले ले कि पार्लियामेंट की हद के अंदर कोई सिगरेट, बीड़ी नहीं पीएगा, गुटका नहीं खाएगा। मंत्री ऑफ पार्लियामेंट को या मिनिस्टर को अगर गुटका खाना है तो पार्लियामेंट छोड़कर अपने घर चला जाए और वहां जाकर खाए। कम से कम हम यह फैसला तो लें कि जहां से पार्लियामेंट का कैम्पस शुरू होता है, उसके भीतर कोई सिगरेट नहीं पीएगा, टॉयलेट्स के अंदर भी नहीं पीएगा... (व्यवधान)... Take it seriously. Don't cut jokes. Whatever I say, I say it very seriously, from the core of my heart... (Interruptions)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है और कुछ मल्टी-नेशनल कंपनियों को 100 प्रतिशत फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इजाजत दे रही है तंबाकू कल्टिवेशन के लिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने तो एक नयी बहस छेड़ दी। हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि न पीछे हट सकते हैं और न आगे जा सकते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीजों के समर्थक हैं जो आप कहते हो लेकिन आप केवल राजनीतिक कारणों से कहते हैं और हम अपनी कठिनाइयों, दरिद्रता और व्यवहारिकता के कारण कहते हैं।

SHRI JIBON ROY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I draw the attention of the hon. Member to the fact that the Government of India is considering a proposal for a 100 per cent foreign investment on tobacco cultivation...(Interruptions)

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दवे जी द्वारा प्रस्तुत सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 1997 का समर्थन करता हूँ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the hon. Member, Shri Gautam, has made a very useful suggestion regarding smoking. Before we start with the entire world, at least in Parliament, smoking should not be permitted within the Parliament premises. We are coming out with various laws like, say, MPs should not have more than two children. This is an old-fashioned one. But, in the case of smoking, if anybody wants to smoke, he can go outside this little gate, into the open air, and smoke. Let us take it very seriously. It is a very important matter. Kindly convey the feelings of the hon. Member, which, I think, is shared by the entire House, to the General Purposes Committee for appropriate directions.

श्री रामजीलाल (हरियाणा): मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसको करना चाहिए।

श्री शरीफ-उद्-दीन शारिक (जम्मू और कश्मीर): क्या फिज़ूल बात का समर्थन करते हो। रिश्तत पर बात नहीं करते...(व्यवधान)... मैं भी सिगरेट पीता हूँ।

श्री रामजीलाल : पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए।

श्री ललित भाई मेहता (गुजरात) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ऑब्ज़र्वर में "Tobacco - the death trap" एक आर्टिकल छपा था उसमें एक उल्लेखनीय बात यह कही गई थी कि-"Passive smoking can have consequences as fatal as those of active smoking" अभी फेलेरियो जी जो बात कह रहे थे, उस बात पर अमल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो रेलवेंट पोर्शन है इसमें, वह मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है कि "Passive smoking is a great risk for office workers in a closed environment. Most people in the cities spend a huge proportion of their time indoors and exposure to environmental tobacco smoke is a very serious health hazard. Passive smoking can lead to lung cancer, aggravated asthma, frequent colds, impaired childhood, physical and mental retardation and heart attacks. A study has shown that non-smokers, who live with smokers face a 35 per cent higher risk of getting lung cancer than people who don't

live with smokers. We have seen a number of young women with heart attacks, whose husbands were heavy smokers. And, recently, some non-smoking men were seen with heart attacks, whose wives were heavy smokers. "

उपसभाध्यक्ष जी, हमारी बहनों में भी टोबेको चुइंग और टोबेको स्मोकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत गंभीर बात है हमारी दृष्टि से और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं एक और बात यहां पर रखना चाहूंगा। जैसे दवे जी ने बताया कि 31 अक्तूबर सारी दुनियां में 'नो टोबेको डे' ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फेलेरियो जी ने जो बात कही है इसको ध्यान में रखते हुए सभी पब्लिक प्लेसेज में टोबेको चुइंग और टोबेको स्मोकिंग को प्रतिबंधित किया जाए। इस दृष्टि से मैं दवे जी के बिल का समर्थन कर रहा हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI N. T. SHANMUGAM): Mr.

Vice-Chairman, Sir, the hon. Member, Shri Anantray Devshanker Dave brought forward this Bill for prohibiting the consumption of gutkha and khaini by people. For this purpose, he has proposed an amendment in the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975, extending its application to other tobacco products like gutkha and khaini. This Act would, therefore, apply not only in the case of cigarettes, but also to other tobacco products like gutkha and khaini. The other clauses he wants to introduce are Clauses 3(a) and 3(b) in the principal Act. These relate to prohibition of blending and treating of tobacco products including cigarettes, gutkha and khaini with narcotics and other psychotropic substances. Shri Dave has also proposed the enhancement of the rigorous imprisonment for those who indulge in mixing and blending of narcotic drugs -- that is, imprisonment for a period of ten years, with a fine which may extend to ten lakhs of rupees. He has also proposed prohibition of sponsorship of sports events by manufacturers of cigarettes and other tobacco products. He said advertisements of all such products should not be allowed to be broadcast and telecast on television and other media. Shri Dave has also proposed that the size of the print of the statutory warning printed on cigarette packets, "Smoking is injurious to health", should be increased from the present 3 mm. to 5 mm. The hon. Member also mentioned that one lakh people die every year due to the use of tobacco and its other products like gutkha and khaini. This is one of the main causes for cancer and other respiratory diseases which people have. The use of

tobacco also brings early death to its consumers. The four hon. Members who took part in this debate said that fifty per cent of the people of India are consuming tobacco and its products. There is no such illusion. The Government is opening cancer hospitals. These hospitals will not be of much help to those people who have already got cancer and other diseases. The Government has already intensified its efforts to discourage people from tobacco consumption. Under the administrative instructions, tobacco smoking is prohibited in hospitals, dispensaries and other health care establishments, domestic air flights, air-conditioned chaircars, air-conditioned sleeper coaches in trains, suburban trains and air-conditioned buses, under the control of the Government of India. Smoking has also been prohibited at public places and public conveyance in the National Capital Territory of Delhi. In addition, the following measures have been taken to discourage the consumption of tobacco:

(1) As per the Cigarette (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975, it is mandatory to display health warning on all cartons, packets, of cigarettes.

(2) Under the Prevention of Food Adulteration Act Rules, 1955, a warning "Chewing of tobacco is injurious to health." is mandatory on tobacco products.

(3) Direct advertisements relating to tobacco or tobacco related products are prohibited on Doordarshan and All India Radio. The Ministry of Information and Broadcasting has informed us that the satellite channel operators have also expressed their willingness to come forward with their self-regulated code for advertisements of such products. The Government has advised the State Governments to discourage consumption of products containing chewing tobacco, including *gutkha*. They have also been advised to ensure that tobacco products are not sold around educational institutions, such as schools and colleges.

(4) In the field of health education, under the National Cancer Control Programme, emphasis is being given to awareness on early detection of cancer. The law relating to production, supply and distribution of industrial products is under Entry No. 26 of the State List. The Parliament is, therefore, only competent to enact law relating to cigarette, and not other forms of tobacco products. The major portion of tobacco products, which is the subject-matter of the present Bill falls within the

jurisdiction of the State Assemblies. Only one form of tobacco product, namely, cigarette, is within the jurisdiction of Parliament. Therefore, Parliament is not competent to enact legislation on *gutkha* and *khaini*, which is covered by Entry 26, Seventh Schedule 7 of the Constitution. However, in view of the provisions contained in article 252(1) of the Constitution, Parliament would be competent to enact a law in respect of tobacco products for those States which adopt the law passed by Parliament, by passing a resolution by the House of the State, or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of the State. The amendments and additional proposals in the Bill are inadequate. The Government is considering a proposal to bring forward a comprehensive legislation against the use of tobacco in the country. The State Legislatures of Uttar Pradesh, West Bengal, Goa and Punjab have passed resolutions to adopt the Central Government legislation on the subject. The Ministries are also examining as to what steps can be taken to discourage the use of chewing tobacco, including *gutkha* and *khaini*. The Department of Health is, therefore, of the view that the Government should oppose the Bill in Rajya Sabha. Therefore, I request the hon. Member to withdraw the Bill.

SHRI EDUARDO FALEIRO. : Sir, I have to seek some clarifications from the Minister. The hon. Minister said that there are many instructions for prohibiting smoking at public places, educational institutions, etc. I can say with full responsibility that as far as educational institutions are concerned, I myself have seen, one metre away from the gates of educational institutions, kiosks selling various things, including cigarettes. We need to reiterate these instructions to all concerned. Will the hon. Minister impress upon all concerned to strictly enforce these instructions? Because, laws may be there. The problem is not with the laws. There is never any problem with the laws, but the problem is with regard to implementation of the laws, which is never there. There are plenty of laws, but no implementation. Please implement them. Two, will you now, as a symbol of your commitment to this cause -- which you have said, you have -- just ensure that in your own Central Government Offices, there is no smoking? Kindly do it, to begin with. Three; circulate all these things to all the States so that this type of ideas are implemented. Four, kindly bring a legislation -- as a Minister, you say that you are going to bring -- with a sense of urgency. We are talking of education and of bringing laws. But nothing neither in this House nor in the other House, is ever brought out --

whether on education or health. So, kindly bring this legislation in the next Session of Parliament and oblige the people of this country.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: The Kerala High Court has given an order...

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Recently, there was a judgment from the Kerala High Court. The judgment was to give effect to ban smoking in public places. One writ petition is pending before the Chennai High Court. Some are filing petitions for banning smoking in public places. In the Chennai High Court, a Public Interest Litigation was filed and it is pending. In certain other areas, some people have filed a petition for allowing smoking in public places. We are not able to understand the situation in our country. I would like the hon. Minister to take necessary steps to prevent smoking.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं मानता हूँ कि वे गुटका और खैनी के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सकते हैं लेकिन फ्लेरियो जी, गौतम जी और ललित भाई ने कही हैं और अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं मानता हूँ कि आज तक जो एडवर्टाइजमेंट लेटर की साइज है वह तो आपके इस एक्ट में हैं, सरकार उसे पढ़ें। दूसरे, हमारा देश इल्लिटरेट है This is my main point.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : वह तो बोले हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : वह जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश के गांवों में लोग अनपढ़ हैं। You put a photograph of a cancer patient on the packet.

मेरा सजेशन यह है कि गांवों में जो लोग अनपढ़ हैं वे पढ़ तो नहीं सकते। आप कम से कम इतना तो एशयोरेंस दें कि आप ऐसा लेजिलेशन लाएंगे।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया सरकार का है, ऐसा कमिटमेंट बाहर की दुनिया वालों से न करें कि यहां के प्लेयर्स लोगो लगाकर दुनियाभर में खेलें। इतना एशयोरेंस आप हमें दे दीजिए। ये चीजें करनी हैं कि जो खिलाड़ी खेलते हैं वे बड़ी-बड़ी कम्पनियों से पैसे लेकर वहां का लोगो न लगाएं और उनका लोगो लगा चित्र न दिखाएंगे, यह एशयोरेंस दें तो मैं अपना बिल वापस ले लूंगा।

RAJYA SABHA [3 December, 1999]

SHRI N.T. SHANMUGAM: The hon. Member have given good suggestions, so far as the illiterate people, those who are using tobacco or *khaini*, are concerned. Therefore, his suggestion would be considered when a comprehensive legislation is brought forward. Valuable views and suggestions of other Members also will be considered in the new legislation. I, therefore, request the hon. Member to withdraw his Bill.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Sir, I would like to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Does the hon. Member have the permission of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Dr. Mohan Babu - Absent. Shri E. Balanandan - Absent. Shri S. Ramachandra Reddy.

**THE HANDLOOM WEAVERS (VIALE WORKING CONDITIONS
AND OTHER WELFARE MEASURES) BILL, 1998**

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): I move:

"That the Bill to provide for the viable working conditions for the handloom weavers by assuring subsidized regular supply of yarn and other raw materials, interest free consumption loans, insurance for the handlooms and the weavers, loans at nominal rates for purchasing yarn and other raw material from the Banks and other financial institutions, making it mandatory for the Governments and their departments to purchase its cloth requirements from primary handloom weavers and their co-operatives, and for certain other welfare measures to be undertaken by Central and State Governments and for matters connected therewith and incidental thereto be taken into consideration."

SHRI JIBON ROY(West Bengal): Sir, it is an important Bill concerning the whole Nation. (*Interruptions*).. The Minister concerned must be here to hear him...(*Interruptions*)...